

राजस्थान सरकार  
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
जयपुर, राजस्थान

क्रमांक :- डीसी/डी-2/2015/

दिनांक:

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक राजस्थान।  
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

विषय:- औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 की पालना के संबंध में।

विभाग द्वारा औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत पेरा 30 में उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करने हेतु समस्त सहायक औषधि नियंत्रकों को एवं औषधि नियंत्रण अधिकारियों को राजस्थान राज्य के लिये राजस्थान राज-पत्र विशेषांक में अधिसूचना संख्या प.1(14)चिस्वा/2/94 दिनांक अगस्त 22, 2013 द्वारा अधिकृत किया जा चुका है।

National Pharmaceutical Pricing Authority ने अप्रैल 2015 में प्रचलित मूल्यों का Compendium जारी किया है जिसे विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है।


अतः समस्त सहायक औषधि नियंत्रकों को एवं औषधि नियंत्रण अधिकारियों राजस्थान राज्य को औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 की पालना में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

269  
28.05.2015

- 8 -  
(के० जयवन्त)  
औषधि नियंत्रक  
राज० जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज० जयपुर।
2. औषधि नियंत्रक-प्रथम, मुख्यालय।
3. प्रभारी, सेन्टर सर्वर रूम, मु० को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने की कृपा करें।

  
(के० जयवन्त)  
औषधि नियंत्रक  
राज० जयपुर